47 B/16 2024 681

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक

1/9/25

[प]त्रावली पेश हुई । आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है । पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है । पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 8/9/25 को पेश हो ।

आज्ञा से रीडर

8/9/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 27.11.2024 तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिकी आदेश दिनांक 27.11.2024 की पालना में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 794 दिनांक 20.03.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी की पुत्रवधु के हस्ताक्षर एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के स्वयं के हस्ताक्षर है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 के पुत्र को सूचना पत्र तामिल है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी का पुत्र, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 स्वयं उपस्थित रहे। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

8/9/25
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विभाजन प्रस्ताव ... एडवोकेट